

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

-:अधिघोषणा :-

संख्या.....-2990/रं. भू-अर्जन

कटिहार, दिनांक - 19 - 12 - 13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा- मुरादपुर थाना न० 291 थाना कोढ़ा परगना धर्मपुर जिला कटिहार के अन्तर्गत नजीर गाँव डुमरिया मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम मुरादपुर थाना न० 291 के भीतर एक भुखंड अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 0.13 एकड़ (तेरह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा न० 2769,2780,2781,3324,3325,3327, एवं 3328 का अंश है तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:- मौजा मुरादपुर थाना न० 291 का सर्वे खेसरा न० 2750 बिहार सरकार सड़क ।

दक्षिण:- मौजा नजीर गंज ग्राम का बिहार सरकार सड़क ।

पूरब:- मौजा मुरादपुर थाना न० 291 का सर्वे खेसरा न० 2781,3324,3325,3327,3328,का अंश एवं 3323 पूर्ण ।

पश्चिम:- मौजा मुरादपुर थाना न० 291 का सर्वे खेसरा न० 2769,2780 एवं 2780 एवं 2781 का अंश ।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जायेंगे ।

यह घोषणा अधिनियम 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 के खण्ड (1)के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

४०

सरकार के अवर सचिव

-2990/272

ज्ञाप सं० - 14/डी०एल०ए० कटिहार (संपर्क सड़क) मुरादपुर-20/2011 - पटना, दिनांक-19-12-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

02/12/13
सरकार के अवर सचिव।